छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा चतुर्थ सत्र अंक-04

रायपुर, सोमवार, दिनांक 09 मार्च, 2015

(फाल्गुन 18, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. होली की शुभकामनाएं

माननीय अध्यक्ष ने समस्त माननीय सदस्यों को होली की शुभकामनाएं दीं।

2. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य के जन्मदिवस के अवसर पर सदन की ओर से माननीय सदस्य को शुभकामनाएं दीं।

3. राष्ट्रकुल दिवस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा अनौपचारिक उल्लेख

राष्ट्रकुल संसदीय संघ के सदस्य देश, प्रतिवर्ष मार्च माह के द्वितीय सोमवार को राष्ट्रकुल दिवस के रूप में मनाते हैं ।

तदनुसार आज सोमवार, दिनांक 09 मार्च "राष्ट्रकुल दिवस" है । इस वर्ष राष्ट्रकुल देशों ने "A Young Commonwealth" अर्थात् "युवा राष्ट्रकुल" सूत्र को वर्ष 2015 का आधार बनाया है ।

विश्व की लगभग एक तिहाई आबादी आज राष्ट्रकुल में सम्मिलित है । यह राष्ट्रकुल विभिन्न धर्मों, जाति, संस्कृति, सिद्धान्तों, मूल्यों, आस्थाओं एवं परम्पराओं के लगभग दो अरब नागरिकों का समूह है । विश्व के 53 सदस्य देशों में विस्तारित इस संगठन की सफलता का आधार है-परस्पर सद्भाव, समझ-बूझ तथा असहमति एवं असमानता के होते हुए भी परस्पर सम्मान की भावना से ओत-प्रोत समुदाय की रचना करते हुए विश्व बंधुत्व की अपेक्षाओं की

कसौटी पर खरा उतरने का दृढ़ संकल्प और वस्तुत: यही हमारे सुनहरे भविष्य, हमारी सुरक्षा, हमारी उन्नति और संतुलित विकास का आधार भी है ।

वर्ष 2015 के लिए राष्ट्रकुल का आधार सूत्र "युवा राष्ट्रकुल" की कल्पना एवं भावना को हमें अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना है, ताकि युवाओं में उत्साह, जोश, कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता, कौशल-उन्नयन एवं सकारात्मक सोच विकसित एवं संवर्धित हो सके और वे उनके समक्ष उपलब्ध अवसरों का सदुपयोग करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने का अधिकतम प्रयास कर सफलता हासिल करें ।

इस अवसर पर राष्ट्रकुल संगठन, लंदन की मुखिया से प्राप्त संदेश में भी विशेषत: उल्लेख किया गया है कि प्राचीनकाल से ही यह अनुभव किया जा रहा है कि जब भी कोई जन समुदाय, किन्हीं सार्वजनिक लक्ष्यों के निर्धारण एवं उनकी पूर्ति हेतु एकत्रित होकर संवाद की स्थिति निर्मित करते हैं एवं अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, तब निश्चित रूप से सुखद व आश्चर्यजनक परिणाम परिलक्षित होते हैं ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में यह प्रसन्नता का विषय है कि विश्वस्तर पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रमंडल के 53 सदस्य देशों के लगभग 60 प्रतिशत नागरिक 30 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं । उनकी क्षमता को पहचानकर राष्ट्रीय विकास में उनका पूरा उपयोग एवं योगदान सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रेरित एवं सशक्त किये जाने की आवश्यकता है, जिससे युवा शक्ति राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति के रूप में विकसित होकर उभर सके । युवाओं में परिवर्तन का नेतृत्व करने की अद्‌वितीय क्षमता होती है, अत: युवा शक्ति को पहचान कर उसे प्रशिक्षित कर उन्हें उचित अवसर प्रदान करना ही हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए, जिससे "युवा" मानव मस्तिष्क में रचनात्मक एवं सकारात्मक क्रियाशीलता का भाव उत्पन्न किया जा सके।

आईए, हम सब भी "युवा राष्ट्रकुल" सूत्र को अपना मूल मंत्र बनायें और आज "राष्ट्रकुल दिवस 2015" के अवसर पर यह प्रण करें कि हम सभी परस्पर सहयोग, मेल-जोल एवं समन्वय से एक जागरूक, ऊर्जावान, विकासशील युवा वर्ग को सृजित करेंगे, ताकि राष्ट्रकुल देशों का भविष्य सुस्पष्ट, सकारात्मक एवं उज्जवल बने ।

इस अवसर पर यही मेरी शुभकामनाएं हैं ।

4. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 11 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 10 के प्रस्तुतकर्ता सदस्य श्री अरूण वोरा के स्थान पर श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 23 तारांकित एवं 48 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

5. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 08 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

6. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने धान खरीदी नहीं करने के मामले में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि यह स्थगन का विषय नहीं है।

प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा भी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई।

7. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - सामान्यत: स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य अविलंबनीय लोक महत्व के ऐसे विषय पर उठाने की अनुमति दी जाती है जिसमें शासन की नीतिगत असफलता परिलक्षित होती है। दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों को आधार बनाकर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं है।

सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण, बजट पर सामान्य चर्चा, अनुदान मांगों पर चर्चा, विनियोग विधेयक पर चर्चा जैसे अनेक अवसर हैं जब स्थगन के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

विचारधीन स्थगन प्रस्ताव में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाए।

अत: उन्होंने स्थगन प्रस्ताव को कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुन: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण सूचना हेतु श्री टी.एस. सिंहदेव का नाम पुकारा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये।)

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री टी.एस.सिंहदेव, सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।)

(2) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने जगदलपुर स्थित नगरनार में एनएमडीसी द्वारा निर्माणाधीन इस्पात संयंत्र हेतु अधिगृहित जमीन के प्रभावित कृषकों का समुचित पुर्नवास न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

9. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, बघेल लखेश्वर, मोतीलाल देवांगन, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, लालजीत सिंह राठिया, श्यामलाल कंवर, सत्यनारायण शर्मा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अमरजीत भगत, दिलीप लहरिया, पारसनाथ राजवाड़े, बृहस्पत सिंह, भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, मनोज सिंह मंडावी, उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती तेज कुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री शंकर ध्रुवा, (डॉ.) प्रीतम राम, चिंतामणि महाराज, कवासी लखमा, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, गिरवर जंघेल, चुन्नीलाल साहू, जनकराम वर्मा, भैयाराम सिन्हा, सियाराम कौशिक एवं राजेन्द्र कुमार राय।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित की जावेगी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में बैठ गए।)

10. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने ध्यानाकर्षण पर वक्तव्य दिया।

11. पृच्छा

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से पुन: आग्रह किया कि वे उनके स्वयं के द्वारा बनाये गये नियम का पालन करें। गर्भगृह में आने के बाद आप स्वयं निलंबित हो जाते हैं, आप सभा गृह से बाहर चले जाएं।

श्री अमरजीत भगत, सदस्य के निलंबित हो जाने के बाद भी जोर-जोर से नारेबाजी किये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्य से अनुरोध किया कि वे सदन की मर्यादा को बनाए रखें नहीं तो कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। श्री अमरजीत भगत, सदस्य अपनी मर्यादा में रहें।

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार डॉ.विमल चोपड़ा सदस्य की याचिका पढ़ी हुई मानी गई।

13. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 16, रायगढ़ से निर्वाचित सदस्य श्री रोशनलाल को मार्च-अप्रैल, 2015 सत्र में दिनांक 2 मार्च, 2015 से 6 अप्रैल, 2015 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2015)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, मछली पालन मंत्री ने छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

15. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- आज प्रतिपक्ष के सदस्य उनके द्वारा बनाये गये नियमों का पालन नहीं करते हुए स्वत: निलंबित होने व आसन्दी के सभा से बाहर जाने के निर्देश के बावजूद सभा के गर्भगृह में बैठ कर नारेबाजी करते रहे।

क्या यह संसदीय परंपराओं एवं परिपाटियों तथा इस सदन व स्वयं की गरिमा के अनुरूप है यह प्रश्न मैं उनके विचार एवं विवेक पर छोड़ता हूं कि वे आने वाली पीढ़ी के लिये इस सभा का कैसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

16. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि शासन की ओर से प्राप्त छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2015) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु मेरे द्वारा 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

(सभा की बैठक स्थगित होने के पश्चात्)

निलंबन अवधि का निर्धारण

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 2015 को 11.00 बजे दिन तक निर्धारित की।

अपराह्न 2.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 2015 (फाल्गुन-19, शक संवत् 1936) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा